सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

03 अप्रैल, 2023

सप्तदश विधान सभा | सोमवार, तिथि 03 अप्रैल, 2023 ई0
अष्टम सत्र | 13 चैत्र, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष ।

(व्यवधान जारी)

मार्शल, माननीय सदस्यों से पोस्टर ले लीजिए । माननीय सदस्य, अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं । नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखें ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बिहार के अंदर आज बड़ी दुखद और शर्मनाक घटना घटित हुई है ।

अध्यक्ष : आप अपनी बात बाद में उठाइयेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, रामनवमी की शोभायात्रा पर...

अध्यक्ष : इनको मैंने बोलने के लिए पुकारा है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : जिस तरह से सासाराम, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के अंदर घटना घटित हुई है....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्य, आपको भी बोलने का अवसर देंगे । आप पहले अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, प्रत्येक थाना में शांति समिति की बैठक हुई...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप पहले इनकी बात सुन लीजिए उसके बाद ही न आप कुछ बोलियेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : फिर घटना की जिम्मेवारी थाना प्रभारी पर क्यों नहीं दी जा रही है । महोदय, शांति समिति की बैठक होती है, हर पक्ष के लोग रहते हैं और जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत संवेदनशील है वहां पर इस तरह की घटना घटित हो रही है तो सरकार पहले से सजग क्यों नहीं है और वैसे थाना प्रभारी, जिस थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुई है । पूर्व में भी इस तरह के उपद्रवियों के द्वारा जो उत्तेजना और जो वातावरण बनाया गया । महोदय, यह कितना दुखद है कि इस बिहार के अंदर हमलोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं । महोदय, आज अगर ताजिया निकलता है तो कोई पत्थर नहीं बरसता है लेकिन राम नवमी की शोभायात्रा पर पत्थर बरसता है, उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, हिन्दुओं को अपमानित करने की बात करता है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ये अल्पसंख्यक समाज के लोगों की तुष्टिकरण की राजनीति में, वोट की राजनीति में इस बिहार को आतंकवादियों का गढ़ बनाया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपलोग शांति बनाये रखें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, सासाराम में बम बनाते समय विस्फोट हुआ लेकिन कार्रवाई नहीं की गई...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपलोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : बांका में, भागलपुर में बम बनाते समय भी विस्फोट हुआ उसको दबाया गया । अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से, आखिर कब तक अल्पसंख्यकों की मेहमाननवाजी राज्य सरकार करती रहेगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप सभी लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि बांका में मदरसे में बम विस्फोट हुआ था, भागलपुर के नाथनगर में बम विस्फोट हुआ और उच्चस्थ पद पर बैठे हुए पदाधिकारी किस तरह उसे दबाने का प्रयास करते हैं,

कहे थे कि यह पटाखे का विस्फोट था । महोदय, सासाराम में थानाध्यक्ष द्वारा माइक लगाकर पुलिस बल के साथ घूम-घूमकर प्रचार किया जा रहा है कि धारा-144 लगाया हुआ है किसी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं है । दूसरी तरफ जिलाधिकारी कह रहे हैं कि धारा-144 नहीं लगा है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, दुखद है कि सरकार इस तरह का खेल तुष्टिकरण की राजनीति, वोट की राजनीति...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य, श्री मुकेश कुमार यादव । अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जा रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपना स्थान ग्रहण करें।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-89, श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र सं0-27, बाजपट्टी)

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, मैं पूछता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री महबूब आलम वेल में आ गये ।)

(इस अवसर पर विपक्ष के सारे माननीय सदस्यगण वेल में आ गये ।)

(व्यवधान जारी)

वहां से जाकर बोलिये । महबूब साहब, आप अपनी जगह पर जाकर अपनी बात बोलिये ।

(व्यवधान जारी)

महबूब साहब, आप अपने स्थान पर जाइये और अपनी बात रखिये । देखिए, आपलोग वेल में न रहिये ।

(व्यवधान जारी)

आपलोग अपने-अपने स्थान को ग्रहण कीजिए, आपके नेता प्रतिपक्ष को जो कहना था उन्होंने कह दिया, मैंने उनको इजाजत भी दी थी । अब आपलोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री महबूब आलम अपनी सीट पर वापस चले गये ।)

माननीय सदस्य श्री महबूब साहब, आप बोलिए ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, सत्ता से बेदखल होकर के...

अध्यक्ष : आपलोग ऐसा नहीं कीजिए । आपके नेता को बोलने के लिए समय दिया गया था और वे बोल लिये हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री महबूब आलम : सत्ता से बेदखल होकर के भाजपा बौखला गई है, महोदय ।

अध्यक्ष : आपलोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

श्री महबूब आलम : राम नवमी के अवसर पर पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र जी के जन्म दिन पर इनके बजरंग दल और आर0एस0एस0 वालों ने सुनियोजित साजिश करके बिहारशरीफ, सासाराम, गया और जहानाबाद में दंगा फैलाया, इस दंगा को फैलाने में बजरंग दल का हाथ है और आर0एस0एस0 का हाथ है । बिहारशरीफ में इनके डॉ0 सुनील ने साजिश करके एक महीना तक दंगा फैलाने की साजिश की है, महोदय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप सभी लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । वेल से आप अपने स्थान पर चले जायें ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगे, आर0एस0एस0 पर प्रतिबंध लगे । महोदय, ये लोग सत्ता से बेदखल होकर बौखला गये हैं और साम्प्रदायिकता फैलाकर...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य रौशन जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री महबूब आलम : महोदय, ये साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रसारक हैं । महोदय, ये सत्ता में वापसी करना चाहते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राकेश कुमार रौशन जी । माननीय सदस्य, श्री राकेश कुमार रौशन जी ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, बजरंग दल के लोगों के द्वारा वहां पर सुनियोजित ढंग से दंगा कराया गया और एक-एक अल्पसंख्यकों का घर और उसके होटल को लूटा गया, महोदय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री राकेश कुमार रौशन बोल रहे हैं आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

राकेश जी, आप बोलिए ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मैं घटनास्थल पर भी गया था और वहां पर दंगाई लोग प्रधानमंत्री जी का अपने टी-शर्ट पर फोटो छपवाकर पूरे बिहार के मुसलमानों को लूटने का काम किये हैं और सुनियोजित ढंग से एक नहीं कम-से-कम 100 अल्पसंख्यकों की दुकानों को सिर्फ लूटा गया है और आग लगा दिया गया है और महोदय....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में मुश्किल से 1000 दंगाई हैं, सरकार उन 1000 दंगाइयों को गिरफ्तार करके...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप लोग वेल में खड़े होकर के, आपको फोटो खिंचाने की इजाजत नहीं है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, यह जो बिहार में हो रहा है यह एक साजिशपूर्ण तरीके से हो रहा है और यह भारत जलाओ पार्टी पूरी साजिश करके, पूरी योजना बनाकर के बिहार को अशांत किया है, सरकार को अशांत किया है....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री सत्येदव राम जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से राम नवमी के दिन से पूरे बिहार के अंदर सुनियोजित तरीके से आर0एस0एस0, विश्व हिन्दू परिषद के लोग दंगा करवा रहे हैं और एक तरफा जो दंगा करवाते हैं वही पूरे बिहार के अंदर घूम-घूमकर कर यह बात बताते हैं कि सरकार पोषित दंगा हो रहा है । जी नहीं, बिहार को डराने की कोशिश आर0एस0एस0 के लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखौटा बनकर के सामने खड़े हैं । इसलिए आर0एस0एस0 के ऊपर पूरे तौर पर प्रतिबंध होना चाहिए और सुनियोजित तरीके से जिन लोगों ने दंगा करवाया उनको चिन्हित करके, उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए, हम इस सदन के माध्यम से यह मांग करते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री शकील अहमद खां, बोलिए ।

श्री शकील अहमद खां : अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार की सरकार को, पूरे बिहार की सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा समाज की सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है ।

अध्यक्ष : आप लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए, इसको गंभीरता से लीजिए ।

(व्यवधान जारी)

आपलोग अपना स्थान तो ग्रहण कीजिए ।

श्री शकील अहमद खां : हमने इनका यह पैटर्न सभी जगहों पर देखा है, बिहार में जब इनको मुंह की खानी पड़ रही है, बिहार के तमाम एलाइन्स पार्टनर्स मजबूती के साथ बिहार सरकार को अमन-चैन के साथ चलाना चाहते हैं तो ये उपद्रवी लोग यहां पर अपनी बात कहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भाषा गृह मंत्री ने कहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह भाषा कन्डेम्नेबल है, वे बदले की बात कहते हैं, ये बदले की भावना सद्भावना की बात नहीं है । इस जगह पर सद्भावना की बात होनी चाहिए, दुर्भावना की बात नहीं होनी चाहिए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुर्यकान्त पासवान ।

टर्न-2/यानपति/03.04.2023

श्री सुर्यकान्त पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि चाहे वह चैती दुर्गा हों, या रामनवमी हो, इस अवसर पर भाजपा और आर0एस0एस0 के गुंडों के द्वारा बिहार के अंदर खासकर के दंगा फैलाने की साजिश की जाती है । महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो दंगा भड़काया जाता है इसकी न्यायिक, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दंगाइयों को जेल की सलाखों के अंदर बंद करने की कृपा की जाय महोदय, यही मेरा कहना है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान, एक मिनट में ।

श्री अखतरूल ईमान: अध्यक्ष महोदय, जो घटना पुरुषोत्तम राम जी के जन्मदिन के अवसर पर यहां पर किया है, जो बी0जे0पी0 के पालतू गुंडों ने किया है और हमारी मस्जिद

तोड़ी गई, मस्जिद का मीनार तोड़ा गया, मदरसे जलाए गए, धार्मिक ग्रंथ जलाए गए, 40 से ज्यादा दुकानों को लूट लिया गया है और 31 तारीख की घटना हुई, फिर 1 तारीख को दंगा भड़काया गया । महोदय, इनलोगों पर लगाम लगाया जाय, पाबंदी लगाई जाय और सरकार से मैं मुतालवा करता हूं कि जिनकी क्षति हुई है उनका मुआवजा दे । 1 तारीख को घटना क्यों घटी उसका जवाब दें और अकलियत की जान-माल, इज्जत, आबरू खतरे में है, हमारा चलना-फिरना मुश्किल हो गया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः आप स्थान ग्रहण करें । श्री राजेश गुप्ता जी, माननीय सदस्य सासाराम ।

श्री राजेश कुमार गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, सासाराम में जो दंगा कराया गया है कुछ खास लोगों के प्लानिंग के साथ यह काम कराया गया है । न वहां का कोई हिंदू किया है, न मुसलमान किया है, यह दंगाई लोग जो व्यवसायियों के दुश्मन हैं, वैश्यों के दुश्मन हैं लोग कहते हैं कि, उसकी जांच कराई जाय ।

अध्यक्षः आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीनः अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती है, उन-उन राज्यों में यह दंगा कराने का काम करती है, पूरी तरह दावे के साथ कह सकते हैं, बिहार सरकार जांच करे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनसे जुड़े हुये दो-चार संगठन के लोग हैं, पूरे देश में, पूरे बिहार में लगातार दंगा कराने का काम करते हैं ।

हम सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि वैसे संगठन जो समाज में नफरत फैलाते हैं, दंगा-फसाद कराते हैं उनपर प्रतिबंध लगाया जाय । उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाय और भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी का आगमन हुआ था उसी के एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार का वातावरण खराब करने का काम किया है ।

अध्यक्षः श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय सदस्य नालंदा । एक मिनट में बोलिये ।

श्री जितेन्द्र कुमारः महोदय, जो भी किया गया है, भाजपा की एक सोची-समझी साजिश है और इसमें न हिंदू का कोई मतलब है न मुस्लिम का......

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैंने पहले बोलने का मौका दिया और उन्होंने सारी बातों को कह दिया ।

श्री जितेन्द्र कुमार: यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया है और ये बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं कि इनका जनमत घट रहा है और बेचैन होकर ये घटना को अंजाम देते हैं । अत: महोदय, ऐसे दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाय और यह बी0जे0पी0 और उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं बहुत घृणित कार्य हैं । इनको विकास आदि से कोई लेना-देना नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अत: महोदय ऐसे लोगों पर, भाजपाई जैसे लोगों पर और दंगा-फसाद करने पर कार्रवाई की जाय ।

अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपने सदस्यों को कहिए कि वह अपनी सीट पर जाएं । माननीय सदस्यगण, वेल में रहकर बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी । आपके नेता प्रतिपक्ष को कहा गया है, उन्होंने अपने पक्ष को रखा है । वेल में जो माननीय सदस्य हैं, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-3/अंजली/03.04.2023

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : विधायी कार्य के लिए मैंने पुकार दिया है ।

(व्यवधान)

प्रक्रिया के लिये नियमावली है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

''आधारभूत संचरना विकास सामर्थ्यकारी विधेयक, 2023''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये सासाराम और नालंदा की घटना पर हमारे नेता प्रतिपक्ष और सारे सदस्य प्रथम पाली...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आप जरा सुन लीजिए । आप शांति बनाये रखें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सारे सदस्य सासाराम और नालंदा की घटना पर बात कर रहे थे, अगर आसन इजाजत देगा तो सरकार उस पर वक्तव्य देने को तैयार है आज ही । अगर आसन इजाजत देगा तो सरकार सासाराम और नालंदा की घटनाओं पर वक्तव्य देगी ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी एवं श्री जनक सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आवाज नहीं आ रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलिये न । आवाज कैसे नहीं आयेगी ? शांति-शांति । माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठ गये)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपका संरक्षण चाहेंगे । जिस तरह बिहार शरीफ में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ है - ''रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था ।'' दंगाइयों को प्रशासन प्रश्रय दे रहा है ।

अध्यक्ष : आप इस विधेयक पर बोलिये....

श्री संजय सरावगी : बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय । मीडिया में चल रहा है, हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, ताजिया पर फूल और रामनवमी के जुलूस पर पत्थर, यह नहीं चलेगा । इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, यह एकदम नहीं चलेगा । अध्यक्ष महोदय, आपका सरंक्षण चाहिए । जिस तरह...

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान जारी)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी एवं श्री जनक सिंह द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खंडश: लेता हूं । खंड-2 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ? अगर आपको कुछ कहना है तो उसको टेबल पर रख दीजिएगा ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : जी ।

(माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का भाषण परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-03 अप्रैल, 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-43 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का भाषण

परिशिष्ट

राज्य के भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के तीव्र विकास एवं निजी प्रक्षेत्र की भागीदारी तथा प्रारूपण, वित्त पोषण, निर्माण परिसंचालन, रख–रखाव आदि से सम्बद्ध विषयों पर प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक विलम्ब कम करने एवं विशेष परियोजना जोखिम चिन्हित करने के लिये बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम, 2006 लागू किया गया है जिसके अंतर्गत आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई.डी.ए.) का गठन किया गया है।

उक्त अधिनियम की अनुसूची v(ii) (क) में यह प्रावधान है कि जहाँ स्वामित्व सरकार को वापस मिलनी है। वहाँ सरकारी स्वामित्व की भूमि स्वीकृति से अधिकतम 33 वर्षो के रियायती पट्टा प्रभार पर परियोजनाओं के लिए दी जाएगी। इस प्रकार उक्त प्रावधान के अनुसार मात्र 33 वर्ष के लिए भूमि रियायती पट्टा प्रभार पर निजी प्रक्षेत्र को सौंपी जा सकती है।

वर्तमान में जन–निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) आधारित परियोजनाओ में निजी प्रक्षेत्र के भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु यह आवश्यक हो गया है कि भूमि के पट्टे की अवधि परियोजना के स्वरूप को देखते हुए परिवर्तित की जा सके। उक्त अधिनियम के अनुसूची v(ii) (क) के वर्तमान प्रावधान के कारण निजी प्रक्षेत्र के भागीदारी आकर्षित करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

इस कारण उक्त प्रावधान को संशोधित करने का प्रस्ताव लाया गया है। चूँकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में पूर्व से गठित है, यह परियोजना के स्वरूप को देखते हुए भूमि के पट्टे की अवधि निर्धारित करने पर निर्णय ले सकता है।

उपर्युक्त प्रयोजनों को पूरा करने के उद्देश्य से व्यापक विचार–विमर्श करने के बाद बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (संशोधन) विधेयक, 2023 तैयार किया गया है। प्रस्तावित संशोधन नए युग में राज्य में विकास कार्यों में निजी प्रक्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देगा एवं आगामी चुनौतियों के प्रति अपना स्थान बनाए रखेगा।

यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है एवं इसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।